कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, गरियाबंद

कक्ष क्रमांक 40, कार्यालय कलेक्टर, जिला – गरियाबंद (छ.ग.) ईमेल–lcgariaband@gmail.com

क्रमांक / 1479 A/ DPLCS / स्था. / 2023–24

गरियाबंद, दिनांक 26/07/2023

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी अंतर्गत रिक्त पदों हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से Online google link के माध्यम से दिनांक 21/08/23 तक सायं 5:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। भर्ती किए जाने वाले पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र	पदनाम / वेतन / वर्ग	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
1	छात्रावास अधीक्षिका सह कार्यालय सहायक वेतन – 25,000 / – एकमुश्त 01 पद (अनारक्षित–महिला)	1– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत के साथ स्नातक उत्तीर्ण, एवं 2– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र शासन या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त परिषद्, राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से डाटा एन्ट्री आपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा का कौशल हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, (जिसके लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) एवं 3– छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या शीघ्रलेखक या इनके वेतनमान से उच्च वेतनमान पर कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
2	कार्यालय सहायक वेतन – 20,000 / – एकमुश्त 01 पद (अनारक्षित)	1– केन्द्र शासन अथवा छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं 2– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र शासन या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त परिषद्, राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से डाटा एन्ट्री आपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा का कौशल हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, (जिसके लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) एवं 3– छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड– 3 या इनके वेतनमान से उच्च वेतनमान पर कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
3	कार्यालय हेल्पर 10,000 / – एकमुश्त 01 पद (अनारक्षित)	1– केन्द्र अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से दसवीं उत्तीर्ण, एवं 2– एल.एम.व्ही. का कामर्शियल लायसेंस धारी हो। नोट :– कार्यालय हेल्पर को कार्यालयीन कार्यों में सहयोग के साथ साथ आवश्यकतानुसार सिक्योरिटी एवं वाहन चालन के भी कार्य अपेक्षित हैं।

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट www.gariaband.gov.in, www.splc.cg.nic.in तथा कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। पात्र / अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, कौशल परीक्षा के लिये चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अन्य समस्त जानकारियां उपरोक्त वेबसाईट में अपलोड की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं. सह संचालक
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, गरियाबंद

कक्ष क्रमांक 40, कार्यालय कलेक्टर, जिला – गरियाबंद (छ.ग.)
वेब साईट–www.splc.cgstate.gov.in,ईमेल–lcgariaband@gmail.com

क्रमांक /14798/ DPLCS / स्था. / 2023–24 गरियाबंद, दिनांक26/07/2023

विस्तृत विज्ञापन

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी हेतु छात्रावास अधीक्षिका सह कार्यालय सहायक – 1 पद, कार्यालय सहायक – 1 पद एवं कार्यालय हेल्पर – 1 पद के लिये पूर्णतया एकमुश्त मासिक वेतन पर संविदा आधार पर पूर्ति किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से, जो इस पद के लिए निर्धारित अर्हताओं को पूरी करते हों, आवेदन – पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिनके लिये "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012" लागू होगा। आवेदकों को ऑनलाईन गूगल लिंक के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दिनांक 26/07/23 से 21/08/23 सायंकाल 5:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

विज्ञापित पदों की आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, आयु सीमा, आरक्षण, पाठ्यक्रम एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार हैः–

1- उपरोक्त पदों हेतु शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता

क्र	पद का नाम	निर्धारित अर्हताएं
1	छात्रावास अधीक्षिका सह कार्यालय सहायक वेतन – 25,000/– एकमुश्त 01 पद (अनारक्षित–महिला)	1– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत के साथ स्नातक उत्तीर्ण, एवं 2– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र शासन या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त परिषद्, राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से डाटा एन्ट्री आपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा का कौशल हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, (जिसके लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) एवं 3– छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या शीघ्रलेखक या इनके वेतनमान से उच्च वेतनमान पर कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
2	कार्यालय सहायक वेतन – 20,000/–	1– केन्द्र शासन अथवा छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं

Scanned with CamScanner

	एकमुश्त 01 पद (अनारक्षित)	2– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र शासन या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त परिषद्, राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से डाटा एन्ट्री आपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा का कौशल हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, (जिसके लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) एवं 3– छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड– 3 या इनके वेतनमान से उच्च वेतनमान पर कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
3	कार्यालय हेल्पर 10,000/– एकमुश्त 01 पद (अनारक्षित)	1– केन्द्र अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से दसवीं उत्तीर्ण, एवं 2– एल.एम.व्ही. का कामर्शियल लायसेंस धारी हो। नोट :– कार्यालय हेल्पर को कार्यालयीन कार्यों में सहयोग के साथ साथ आवश्यकतानुसार सिक्योरिटी एवं वाहन चालन के भी कार्य अपेक्षित हैं।

<u>महत्वपूर्ण नोटः–</u>

(i) उक्त पदों पर आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताओं, वांछित अनुभव एवं अन्य अर्हता तथा आवश्यक प्रमाण पत्र दिनांक 01/01/2023 की स्थिति में धारित करना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई, शैक्षणिक अर्हताओं, वांछित अनुभव एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें।

(ii) कार्यालय के ऑनलाईन गूगल लिंक के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दिनांक 26/07/23 से 21/08/23 सायंकाल 5:00 बजे तक आवेदन करना होगा। डाक से प्राप्त आवेदन अमान्य हैं।

(iii) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा चयन सूची जारी करने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है तो उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

2- **अर्हता :–** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अर्हता होगी :–

Scanned with CamScanner

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक की उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक या शारिरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारिरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारिरिक दोष से मुक्त न पाया जाये।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्ययाधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवष्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिष्चय होने तक लंबित रखा जाये।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।

3- नियुक्ति की अवधि :—

(i) उपरोक्त पदों पर संविदा नियुक्ति प्रथम बार तीन वर्ष के लिये होगी, विभाग की आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि विभागीय भर्ती नियमानुसार विस्तारणीय होगा।

(ii) संविदा नियुक्ति की प्रथम 03 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिये पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

(iii) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(iv) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

4- **चयन प्रकिया :–**

(i) कार्यकारी सहायक एवं कार्यालय सहायक के चयन हेतु कौशल परीक्षा विभागीय भर्ती नियमानुसार शासकीय पॉलीटेक्निक अथवा आई.टी.आई. द्वारा ली जायेगी। शासकीय पॉलीटेक्निक अथवा आई.टी.आई. द्वारा द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों एवं विज्ञापन में दर्षित अधिमान (यदि कोई हो तो) को मिलाकर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

(ii) ऑफिस सहायक (कार्यालय हेल्पर) के चयन हेतु निर्धारित अर्हता के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

(iii) अंतिम मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी, अधिक आयु वाले अभ्यर्थि का चयन किया जायेगा एवं अभ्यर्थियों की जन्मतिथि भी समान होने की स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी।

(iv) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद या बिंदु पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा। किसी भी समय इस विज्ञापन को बिना कारण निरस्त करने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी को होगा।

(v) चयनित उम्मीदवार को पुलिस वेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जाएगा।

(vi) इस विज्ञापन के अधीन होने वाली नियुक्ति, विभागीय भर्ती नियम यथासंशोधित 01.03.2017 तथा छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती नियम 2012 के अध्याधीन होगी।

(vii) इस नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगें।

5- **पदों हेतु आरक्षण :–**

(i) उपरोक्त पदों पर चयन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(ii) राज्य में सीधी भर्ती के पदों के लिए लागू महिला आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी किए गये नियम/निर्देश लागू होंगे।

6- **निर्धारित आयु सीमाः–**

छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो. उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कंटिंजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई–संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणामस्वरूप उच्चतम आयु सीमा तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरणः–"छंटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य जो इस राज्य (अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–1/2016/1–3 नया रायपुर, दिनांक 11/01/2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिये उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

(vii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्रमांक सी– 3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(viii) राज्य (अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ix) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रसित छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(x) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 650/209/2022/एक–3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा

Scanned with CamScanner

कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शाराकीय सेवा में भर्ती के लिये उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

<u>महत्वपूर्ण टीपः–</u>

(i) सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा।

(iii) आयु की गणना दिनांक–01.01.2023 के संदर्भ में की जायेगी।

(iv) अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, वांछित अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के कोई भी दस्तावेजों में विसंगति पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(v) आवेदन करने हेतु दिनांक 01/01/2023 की स्थिति में आवेदित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताओं का प्रमाण पत्र, स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पत्रोपाधि, वांछित अनुभव प्रमाण पत्र (अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में संस्था के ऑफर/नियुक्ति पत्र के परिप्रेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण करने संबंधी दस्तावेज एवं संस्था द्वारा जारी कार्यमुक्ति पत्र मान्य होगा), छत्तीसगढ़ का मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस तथा आयु संबंधी प्रमाण (हाई स्कूल सर्टिफिकेट/मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट/पेन कार्ड/आधार कार्ड। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे) एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है।

(vi) विज्ञापित पद के लिये आवश्यक शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची अभ्यर्थी के पास होने अनिवार्य है।

(vii) अनुभव प्रमाण पत्र में लेटर हेड के साथ जावक क्रमांक एवं दिनांक स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा उसे मान्य नहीं किया जावेगा।

(viii) कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर/केन्द्र तक जाना होगा, इसके लिए यात्रा भत्ता व्यय नहीं दिया जाएगा।

(ix) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

Scanned with CamScanner

7- **जाति प्रमाण पत्रः–**

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल/स्थानीय निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जायेगा।

(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का वही जातिप्रमाण पत्र मान्य होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष (2022–2023, 2021–2022 तथा 2020–2021) के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र पर आधारित हो।

8- **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्रः–**

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीकृत/अराष्ट्रीकृत बैक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को से "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।

(ii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका परीक्षा तो लिया जायेगा, परन्तु परीक्षा पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिये शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

9. चयन प्रकिया –

क्र	पद का नाम	चयन प्रकिया
1	छात्रावास अधीक्षिका सह कार्यालय सहायक	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारित करने वाले आवेदकों के स्नातक परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर प्रथम 20 अभ्यथियों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिन्हे कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। कार्यालयीन पत्राचार, नोटशीट, प्रेजेन्टेशन, गणना आदि के ज्ञान के संबंध में कम्प्यूटर आधारित कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा शासकीय पॉलीटेक्निक अथवा आई.टी.आई. द्वारा ली जायेगी। कौशल परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों के योग के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जावेगी तथा प्रत्येक आरक्षण प्रवर्ग के लिए पद की संख्या के 07 गुणा आवेदकों की प्रावीण्यता सूची बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस/होमगार्ड/केन्द्रीय पुलिस बल/ सेना केन्यूनतम 1 वर्ष अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिये जावेंगे। कौशल परीक्षाओं, अनुभव के अंकों को जोड़कर बनाई गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। प्रावीण्यता सूची से चयन हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 40 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर ही चयन हेतु पात्र माना जायेगा। चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा। चयन सूची को अनुमोदन हेतु कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी (डीपीएलसी) को प्रेषित किया जायेगा, जो चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।
2	कार्यालय सहायक	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारित करने वाले आवेदकों के (10+2) परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर प्रथम 20 अभ्यथियों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिन्हे कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। कार्यालयीन पत्राचार, नोटशीट, प्रेजेन्टेशन, गणना आदि के ज्ञान के संबंध में कम्प्यूटर आधारित कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा शासकीय पॉलीटेक्निक अथवा आई.टी.आई. द्वारा ली जायेगी। कौशल परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों के योग के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जावेगी कौशल परीक्षाओं के अंकों को जोड़कर तैयार की गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। प्रावीण्यता सूची से चयन हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 50% व उससे अधिक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को

Scanned with CamScanner

		40 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर ही चयन हेतु पात्र माना जायेगा। चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा। चयन सूची को अनुमोदन हेतु कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी (डीपीएलसी) को प्रेषित किया जायेगा, जो चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।
3	कार्यालय हेल्पर	पात्र आवेदकों की निर्धारित अर्हता के अंकों के आधार पर प्रावीण्यता सूची तैयार की जायेगी। निर्धारित अर्हता के अंकों के आधार पर तैयार की गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा। चयन सूची को अनुमोदन हेतु कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी (डीपीएलसी) को प्रेषित किया जायेगा, जो चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।

10. विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):–

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी गरियाबंद का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी गरियाबंद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। प्रकाशन की त्रुटि के लिए जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी गरियाबंद जिम्मेदार नहीं होगी।

11. आवेदन करने की अंतिम तिथि :– 21/08/2023 को सायंकाल 5:00 बजे तक

(निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले ऑनलाईन आवेदनों एवं किसी अन्य माध्यमों से

आवेदन प्राप्त होने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं. सह संचालक
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

Scanned with CamScanner